न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

दिनांक	
28/12/16	पत्रावली पेश। उभय-पक्ष [illegible] प्रतिवादी द्वारा जवाब-दावा एवं वादी के वकील द्वारा गवाह मूलचन्द, होशियार व धनपत [illegible] के शपथ-पत्र पेश किये। [illegible] साक्ष्य किये। पत्रावली वास्ते [illegible] वादी दिनांक 2-1-17 को पेश। [illegible]
2/1/17	[illegible] उपस्थित [illegible] पत्रा. [illegible] 3/1/17 को पेश हो। [illegible]
3/1/17	साक्ष्य वादी/प्रार्थी [illegible] का, होशियार [illegible] व धनपत के शपथपत्र पेश किये। [illegible] किये। जो पूर्व में [illegible] दस्तावेज [illegible] प्रदर्शित किये। [illegible] किये। [illegible] प्रार्थी का [illegible] स्वीकार किया [illegible] निर्णय [illegible] पत्रा. [illegible] किया गया। [illegible] दाखिल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदीलाल मीना RAS

विविध प्रा.पत्र संख्या 28/2016

दायरा दिनांक 12-07-2016

प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 3-01-2017

अनुवान

1. मूलचन्द पुत्र धीसा जाति अहीर निवासी ग्राम पाटन अहीर तह. कोटकासिम जिला अलवर (राज.)।

-: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कार्यकारी अधिकारी तहसीलदार कोटकासिम तह. कोटकासिम जिला अलवर (राज.)।

-: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राज. भू-राजस्व अधिनियम-1956

उपस्थित:-

1. श्री रामफल यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

-: निर्णय :-

प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 इस न्यायालय में पेश किया। प्रा.पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल ख.नं. 1239/1-05, 1245/1-06, 1247/1-03, 1251/1-07, 1255/0-15, 1258/1-12 बीघा वाके ग्राम नांगल सालिया तह. कोटकासिम जिला अलवर (राज.) खाता सं. 21 जमाबन्दी सम्वत् 2029 में प्रार्थी के पिता धीसा पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर निवासी पाटन अहीर तह. कोटकासिम जिला अलवर के नाम खातेदारी दर्ज है, प्रार्थी के पिता की फौतीदगी के बाद मौके पर मैं प्रार्थी बतौर काबिज खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थी का वास्तविक कब्जा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कार्यकारी तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा रिकार्ड में आराजी मुतदाविया में धीसा मजकूर बजाय दाताराम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

----1---

Scanned by CamScanner

पुत्र कालू कौम अहीर साकिन पाटन खिकमी साल 16 खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बिना किसी सक्षम अधिकारी व न्यायालय के आदेश के बिना गलत दर्ज कर दिया जो प्रार्थी के अधिकारों के विरुद्ध बातिल व बेअसर है। जिसे दुरुस्त कराने को प्रार्थी ने प्रा.पत्र पेश किया है। प्रार्थी के पिता धीसा का देहान्त हो चुका है। जिसका प्रार्थी ही वैधिक वारिस है। एवं दानाराम पुत्र कालू लावल्द फौत होगया है उसका कोई वैधिक वारिस नहीं है। इसलिए कोई पक्षकार नहीं बनाया है। निवेदन किया है कि आराजी मुतदाविया के धीसा मजकूर बजाय दानाराम पुत्र कालू कौम अहीर साकिन पाटन अहीर खिकमी साल 16 को दुरुस्त कराया जाकर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थी पैरोकार की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश किया कि खिकमी काश्तकार की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी की ओर से दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संवत् 2029, नकल जमाबन्दी संवत् 2071-74, नकल जमाबन्दी संवत् - 2018, नकल जमाबन्दी संवत् - 2034, नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत पाटन अहीर पेश किये साक्षी प्रार्थी ~~रामफल~~; हेतराम, सुरेश का तथा चायन का शपथपत्र पेश किये गये।

बहस प्रार्थी के विद्वान वकील की सुनी गयी

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धीसा मजकूर बजाय दानाराम पुत्र कालू खिकमी साल-16 को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी को बतौर खातेदार रिकार्ड में दर्ज रखा जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

...2...

Scanned by CamScanner

मेरे द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर विचार किया गया। पत्रावली में पेश दस्तावेजात व साक्ष्य प्रार्थी का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2018 से जमाबन्दी सं. 2034 तक में आराजी मुतदाविया प्रार्थी के पिता धीसा पुत्र लक्ष्मण के नाम बतौर खातेदार दर्ज होना पाया जाता है। इससे साबित है कि वर्तमान रिकार्ड में मजकूर धीसा बजाय दाताराम पुत्र कालू अहीर सा. [illegible] सिकमी साल-16 गलत दर्ज किया गया। प्रार्थी के पिता धीसा का निधन हो चुका है। इसलिये रिकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। पत्रावली में पेश साक्ष्यों के अनुसार दाताराम का लावल्द फौत होना जाहिर है। ग्राम पंचायत के प्रमाण-पत्र में भी दाताराम लावल्द फौत होना व प्रार्थी का कब्जा होना बताया है। रिकार्ड के अवलोकन व साक्ष्यों पर विचारोपरान्त प्रविष्टि को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

:: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 स्वीकार किया जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2071-74 के खसरा संख्या 1258/1-12, 1239/1-05, 1245/1-06, 1247/1-03, 1251/1-07, 1255/0-15, बीघा वाके ग्राम जांगल सालिया तह. कोटकासिम जिला अलवर राज. में से प्रविष्टि मजकूर धीसा बजाय दाताराम पुत्र कालू कौम अहीर साकिन पाटन सिकमी साल-16 को कलमजद किया जाता है। शेष राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद प्रविष्टि बदस्तूर रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)